

फॉर्म आह्वान

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

प्रितम बनाम नरेन्द्रसिंह आदि

किस्म मुकदमा 212 आरटीएक्ट नं० 63/15.07.2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनीशियल जज	माथर व तारीख फॉर्म आह्वान की हुक्म की तारीख जारी हुआ
-------------	----------------------------------	--

15-07-22 वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री लीलाधर अग्रवाल के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मांगला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के चक 10 बारानी के मु० नं० 61 के किला न० 3, 4, 7, 8, 13, 14 की कुल 0.797 हैक्टेयर कृषि मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी को बेकाबिज न करें, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें। बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाफ्कोस कार्य, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नही होगी। आगामी तारीख पेशी तक आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित नहीं करने पर तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नही बढ़ाई जावेगी। इस संबंध में अप्रार्थी को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फैसला कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण के तलबी हेतु नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 22/8/2022 को पेश हो।

[Signature]

22/8/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी *[Signature]* दिनांक 22/8/22 को पेश हो। *[Signature]*

6/9/22 पत्रावली पेश हुई वकील अग्रवाल ने अस्थाई मु० 135 की ओर से जवाब पेश किया, जिसमें शांति पालनी किया पत्रावली पेश हुई *[Signature]* 14/9/22 को पेश हो।

14/9/22 वकील वादी/प्रतिकवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशादुसार वास्ते... 14/9 दिनांक 21-9-22 को पेश हो। *[Signature]*

पत्रावली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी.....
दिनांक.....को पेश हो।
21-9-22

14

21/9/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी.....
दिनांक 21/9/22 को पेश हो।

21.10.22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी.....
दिनांक 21/10/22 को पेश हो।

1/11/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी.....
दिनांक 6/12/22 को पेश हो।

6/12/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी.....
दिनांक 12/12/22 को पेश हो।

12/12/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन व अग्रणी उपज वधम
उत्पत्तिसाधन मनी गई। शर्तक व 22RTA
कीकार जोष नहीं होने कारण खारिज डिप
भाद्र निर्णय अज्ञात में निरवधि भाद्र
में निताम मुनाय अज्ञात पत्रावली नम्बर में
उप ही भाद्र शर्तक रसर हो।